

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा  
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—44 / 2019 (2019 / 00126) वादपत्र

अनवान

1. प्रताप पिता खुमा बलाई निवासी भींटा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. मांगु पिता खुमा बलाई निवासी भींटा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. लच्छु पिता खुमा बलाई निवासी भींटा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. जयराम पिता भुरा बलाई निवासी भींटा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. डालु पिता भुरा बलाई निवासी भींटा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. भागु पिता भुरा बलाई निवासी भींटा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. हेमी पुत्री मोती बलाई निवासी भींटा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. अणछी पुत्री मोती बलाई निवासी भींटा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. कस्तुरी पुत्री मोती बलाई निवासी भींटा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. गोमी पत्नि मोती बलाई निवासी भींटा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद —

अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक 18.10.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 21.09.2021 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम भींटा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त आराजी संख्या 263 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 266 रकबा 0.26 है0, आराजी संख्या 267 रकबा 0.11 है0, आराजी संख्या 268 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 269 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 270 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 271 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 272 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 273 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 274 रकबा 0.19 है0, आराजी संख्या 341 रकबा 0.55 है0, आराजी संख्या 342 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 343 रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 344 रकबा 0.33 है0, आराजी संख्या 345 रकबा 0.14 है0, आराजी संख्या 346 रकबा 0.20 है0, आराजी संख्या 347 रकबा 0.27 है0, आराजी संख्या 348 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 349 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 350 रकबा 0.11 है0, आराजी संख्या 351 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 352 रकबा 0.46 है0, आराजी संख्या 353 रकबा 0.19 है0, आराजी संख्या 354 रकबा 0.19 है0, आराजी संख्या 355 रकबा 0.09 है0, आराजी संख्या 356 रकबा 0.05 है0,



आराजी संख्या 357 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 358 रकबा 0.26 है0, आराजी संख्या 1103 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 1214 रकबा 0.12 है0, आराजी संख्या 1235 रकबा 0.24 है0, आराजी संख्या 1288 रकबा 0.35 है0, आराजी संख्या 1289 रकबा 0.32 है0, कुल किता 33 कुल रकबा 5.55 है0 भूमि में आराजी संख्या 263 व 351 को शामलाती बदस्तुर रखते हुए वादी का 1/9 हिस्से का कब्जे एवं हिस्से को ध्यान में रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 12.10.2021 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें बताया कि वादी के खाता संख्या 160 कुल किता 33 कुल रकबा 5.55 है0 मे से अपना 1/9 हिस्सा विभाजन कराना चाहता है परन्तु वादी द्वारा सहखतेदार 6 से 9 से कुछ हिस्सा लिया हुआ है तो उस हिस्से को जोड़कर सभी हिस्से का विभाजन प्रस्ताव एक साथ तैयार करवायेंगे इसलिये अभी तैयार नही करवाना चाहता है जिसका इनकारी नामा का पर्चा तैयार किया गया है।

तहसीलदार रायपुर के प्रार्थना पत्र के आधार पर प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन करवाने से वादी द्वारा मना कर देने से उक्त वाद को अस्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

### आदेश

अतः वादी का वाद पत्र स्वयं के इनकार नामे के आधार पर अस्वीकार किया जाता है। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



*Amr*  
18.10.2021  
(सुन्दरलाल बम्बोडा)  
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
रायपुर जिला भीलवाड़ा  
रायपुर (भीलवाड़ा)

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री  
(आदेश 20 रूल्स 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा  
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.  
मुकदमा नम्बर:—44/2019 (2019/00126) वादपत्र

अनवान

1. प्रताप पिता खुमा बलाई निवासी भींटा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. मांगु पिता खुमा बलाई निवासी भींटा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. लच्छु पिता खुमा बलाई निवासी भींटा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. जयराम पिता भुरा बलाई निवासी भींटा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. डालु पिता भुरा बलाई निवासी भींटा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. भागु पिता भुरा बलाई निवासी भींटा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. हेमी पुत्री मोती बलाई निवासी भींटा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. अण्छी पुत्री मोती बलाई निवासी भींटा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. कस्तुरी पुत्री मोती बलाई निवासी भींटा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. गोमी पत्नि मोती बलाई निवासी भींटा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादी का वाद पत्र स्वयं के इनकार नामे के आधार पर अस्वीकार किया जाता है।

वाद में डिक्री आज दिनांक 18.10.2021 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।



*[Signature]*  
18.10.2021

(सुन्दरलाल बम्बोडा)  
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
रायपुर, जिला भीलवाड़ा